न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 35/2016 **दायरा दिनांक : 22.01.2016**

उनवान

1— चन्द्रधर मृतक वारिस व कायम मुकाम साधना तिवारी दत्तक पुत्री चन्द्रधर शर्मा, निवासी 40, दुर्गा बिहार ताल लिंक रोड, जोधपुर

2— विद्याधर शर्मा आत्मज श्री कृष्णदत्त शर्मा निवासी पुरोहित हवेली, टिपटा, कोटा

3— मुरलीधर उर्फ प्रभाकर शर्मा पुत्र श्री कृष्णदत्त शर्मा, निवासी 302, पर्ल प्लेजर, बी 134 राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर

.... अपीलांट

बनाम

1— कालूलाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी आलनपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2— गजानन्द पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी आलनपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— बद्रीलाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी आलनपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

4— छोटूलाल पुत्र देवलाल, जाति मीणा, निवासी आलनपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5— बाबू खां पुत्र अखलाख, जाति मुसलमान, निवासी बांगडसी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6— राजस्थान सरकार जरिये टी डी आर खानपुर, जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक :16.03.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 656/2003 निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2005 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 4 ने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट नम्बर 5 के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए और 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया था कि प्रतिवादीगण के खाते में ग्राम खूटखेडी, तहसील खानपुर में खतौनी संख्या 35 पुरानी 33 की आराजी खसरा नम्बर 6 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा आराजी स्थित है । यह आराजी वादीगण के पिता देव लाल द्वारा सन् 1976 में अखलाख पुत्र रसूल बेग से खरीदी थी । जिसका खसरा गिरदावारी सम्वत 2030 का अंकन है । इसका साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा था । आराजी पर खरीद की दिनांक से वादीगण का कब्जा चला आ रहा है । अतः वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का दावा डिक्री कर वादीगण को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांटगण को सूचित किये बिना निर्णय पारित किया है । अपीलांट नम्बर 1 की दिनांक 08.02.2004 को मृत्यु हो चुकी थी । अपीलांट नम्बर 3 सन् 2005 से जयपुर में निवास करता है । उससे पूर्व कोटा में निवास करता था । अपीलांट नम्बर 2 भी कोटा में निवास करता है । सी पी सी के आदेश 5 नियम 20 की पालना नहीं की गई है । अखबार में साया करवाने से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण किये बिना अखबार में साया करवाया है । मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की है । तहरीर बेचान के आधार पर डिक्री पारित की है जो न तो प्रमाणित है और न ही पंजीकृत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलांट को सूचित किये बिना निर्णय पारित किया है । जमाबंदी की नकल लेने पर निर्णय की जानकारी हुई । नकल दिनांक 11.12.2015 को प्राप्त हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हक घोषणा का दावा डिक्री किया है। नोटिस की विधि सम्मत तामील नहीं करवायी है । सन् 2004 में चन्द्रधर की मृत्यु हो चुकी थी । मृत व्यक्ति के खिलाफ डिक्री पारित की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर प्रतिवादी नम्बर 5 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया है और उसके बाद उनके उपस्थित नहीं आने पर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । बयान कालू लाल पी डब्ल्यू 1, बद्री लाल पी डब्ल्यू 2, जमना लाल पी डब्ल्यू 3, कराये गये हैं । नकल जमाबंदी सम्वत 2055–58 सलंग्न है जिसमें वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण 1, 2, 3 के संयुक्त खाते में दर्ज है । मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी 3 है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 117 रकबा 23 बीघा 2 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 6 रकबा 22 बीघा 14 बिस्वा दर्ज किया गया है । नकल जमाबंदी सम्वत 2021–24 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 117 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । खसरा गिरदावरी एक्जीविट पी 5 की प्रति सलंग्न की गई है । इसमें जैली महबूब खान दर्ज है । इसके अलावा पी 1 के रूप में कच्ची तहरीर सलंग्न है । यह तहरीर अखलाख के द्वारा लिखा जाना अंकित किया है । प्रथम तो अखलाख आराजी के खातेदार कृषक नहीं है । वादीगण ने अपने दावे में यह अंकित किया है कि अखलाख के पिता रसूल बेग ने वादग्रस्त आराजी सम्वत 2030 में प्रतिवादीगण से खरीदी थी परन्तु इसके समर्थन में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है । सम्वत 2030 खसरा गिरदावरी में

यदि जैली के रूप में महबूब खान, रसूल बेग वगैरह अंकित है तो इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिवादीगण ने आराजी रसूल बेग को बेचान की है । दूसरा अपंजीकृत और अमुद्रांकित तहरीर के आधार पर अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत 100/– रूपये से अधिक है उसका विक्रय नहीं किया जा सकता है इस तहरीर के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अवैध है और अवैध निर्णय को अपास्त करने के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । इन तथ्यों के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांटगण के द्वारा यह भी कथन किया गया है कि उनकी विधि सम्मत रूप से तामील नहीं करवायी गयी है । यद्यपि अधीनस्थ न्यायालय में अखबार के माध्यम से नोटिस साया कराये जाने के प्रमाण स्वरूप अखबार की प्रति सलंग्न की है परन्तु अपीलांटगण में से अपीलांट नम्बर 1 की मृत्यु दिनांक 01.03.2004 को हो चुकी थी डिक्री मृत व्यक्ति के खिलाफ है साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने अवैध रूप से अपंजीकृत तहरीर के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं । अतः न्याय हित में हम अपीलांटगण जो कि वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है को सुनवायी का अवसर प्रदान करना आवश्यक समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2005 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार

निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 15.05.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 16.03.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा